रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102021-230353 CG-DL-E-11102021-230353

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585] No. 585] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 2021/आश्विन 19, 1943 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 2021/ASVINA 19, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2021

सं. 01/2021-स्वापक नियंत्रण-I

सा.का.िन. 727(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, 1 अक्तूबर, 2021 को आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों को अधिसूचित करती है:-

1. खेती करने के स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचित किया जाए।

2. खेती हेतु पात्रता

इस अधिसूचना के खण्ड 3 और 7 के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र होंगे-

(i) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2020-21 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और उनके मार्फीन की औसत उपज 4.2 कि.ग्रा/हे. से कम नहीं थी ।

टिप्पणी : प्रति हेक्टेयर किग्रा में मार्फीन के अवयव की औसत अर्हक उपज को इस अधिसूचना में एतश्मिन पश्चात न्यूनतम अर्हक उपज (एमक्यूवाई-एम) कहा जाएगा।

5807 GI/2021 (1)

- (ii) किसान जिन्होंने इससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल की जुताई की हो, परन्तु जिन्होने इसी तरह फसल वर्ष 2017-18 के दौरान अपनी सम्पूर्ण पोस्त फसल की जुताई नहीं थी।
- (iii) किसान जिनकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2020-21 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो।
- (iv) किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2020-21 अथवा किसी अगले वर्ष में पोस्त की खेती की हो और जो अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र थे, किन्तु किसी कारणवश, स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथवा, जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्त की खेती वास्तव में न की हो।
- (v) किसान जिनको कि किसी दिवंगत पात्र किसान ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म सं. 1 (देखें नियम 7) के कॉलम 11 में नामित किया गया हो।
- (vi) जिला अफीम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मृत पात्र कृषकों के कानूनी वारिसों में से एक, ऐसे मामलों में किसी भी कारण से किसान के विधिक उत्तराधिकारी को फॉर्म सं. 1 में नामित नहीं किया गया हो या किसी फसल वर्ष में फॉर्म सं. 1 में जिस व्यक्ति को नामित किया गया है वह पारिवारिक सदस्य/रक्त संबंध की परिभाषा के अतंर्गत नहीं आते हों।
- (vii) ऐसे किसान जिनका ,एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत किसी सक्षम अदालत में किसी अपराध के लिए आरोप / आरोपों के आधार पर लाइसेंस समाप्त कर दिया गया हो और सक्षम अदालत द्वारा उक्त मामले / मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया हो व 31 जुलाई, 2021 तक ये आदेश अनंतिम हो चुके हों, तब ऐसे किसान भी अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस के पात्र होंगे बशर्ते कि वे अन्य सभी शर्तों की पूर्ति पर करते हों अदालत के निर्णय व इस आशय की घोषणा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
- (viii) ऐसे किसान जिन्होने फसल वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान खेती किए गए कुल क्षेत्रों का 50% से अधिक मात्रा में जुताई कर दी वे फसल वर्ष 2021-22 के लिए अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे|
- 2 क. इस अधिसूचना के खंड 3 और 7 के अधीन, निम्नलिखित अफीम पोस्त के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे, जिसमें से लांसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला गया हो।
 - (i) ऐसे किसान (कानूनी वारिसों सहित) जिन्होंने फसल वर्ष 2020-21 में मॉर्फिन (एमक्यूवाई-एम) की औसत उपज 3.7 प्रति हेक्टेयर और उससे अधिक किन्तु 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम प्रदान की है।
 - (ii) ऐसे किसान (कानूनी वारिसों सहित) जिनके लाइसेंस को फसल वर्ष 2019-20 और 2020-21 में रद्द कर दिया गया था, बशर्ते उन्होने लगातार पिछले पांच वर्षों में मॉर्फिन (एमक्यूवाई-एम) की औसत उपज 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के 100 प्रतिशत या उससे अधिक के बराबर उपज दी हो. जिसमें वह वर्ष भी शामिल है, जब उनका लाइसेंस रद्द रहा हो, कानूनी वारिस को लाइसेंस के हस्तांतरण के मामले में, मृतक किसानों द्वारा दी गयी औसत उपज के लिए अफीम के कुल औसत की गणना को ध्यान में रखा जाएगा।

3. लाइसेंस की शर्तें

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो/करती हो:-

- (i) उसने फसल वर्ष 2020-21 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से 5% 'क्षम्य क्षेत्र' से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो|
- (ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगा सिद्ध किया गया हो।

(iii) फसल वर्ष 2020-21 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो|

4. अधिकतम क्षेत्र

(i) सभी पात्र किसानों को फसल वर्ष 2020-21 के लिए लाइसेंस निम्नानुसार जारी किया जाएगाः

क्रम सं.	एमक्यूवाई-एम (किलोग्राम/हेक्टेयर में) फसल वर्ष 2020-21 के लिए	लाइसेंस क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	4.2 से अधिक किन्तु 5.0 से कम	0.06
2	5.0 से अधिक किन्तु 5.9 से कम	0.10
3	5.9 और इससे अधिक	0.12

- (ii) वह पात्र किसान जो उपरोक्त खंड 2 के क्रम सं. (i) के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें 0.05 हेक्टेयर के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा।
- (iii) वह पात्र किसान जो उपरोक्त खंड 2क के अंतर्गत आते हैं उन्हें 0.06 हेक्टेयर के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा।
- (iv) वे किसान जिन्हें 10 हेक्टेयर तक का लाईसेंस प्राप्त है एक भूखंड पर ही अफीम की बुवाई कर सकते हैं और 10 हेक्टेयर से अधिक का लाईसेंस प्राप्त करने वाले किसान है दो भूखंडों में अफीम की अफीम की बुवाई कर सकते हैं।
- (v) यदि किसान चाहें तो उनको दूसरों के स्वामित्व वाले भूखंडो को पट्टे पर लेने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि उतनी जमीन पर खेती कर सकें जितने के लिए लाइसेंस दिया गया है।

5. पूर्व चेतावनी

- (i) आने वाले वर्ष 2022-23 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु फसल वर्ष 2021-22 के दौरान **5.9 किलोग्राम मार्फीन प्रति हेक्टेयर** की न्युनतम अर्हक उपज देना जरूरी है।
- (ii) वर्ष 2021-22 के दौरान दी गई अफीम में मार्फीन की मात्रा को फसल वर्ष 2021-22 के भुगतान का आधार माना जा सकता है, यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले।
- (iii) ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान अपनी पूरी फसल की जुताई कर दी थी उनको फसल वर्ष 2022-2023 के लिए लाइसेंस का पात्र नहीं माना जाएगा, यदि उन्होंनें फसल वर्ष 2021-22 में भी पुन: अपने फसलों की पूरी तरह जुताई कर दी हो।
- (iv) भविष्य में, यदि सरकार अतिरकक्त लाइसेंस देना चाहती है तो वह उन किसाने के रद्द किए गए लाइसेंस को पुन: दे सकती है जिन्होंने ऐसी अफीम/मार्फिन की आपूर्ति की थी जिनकी लगातार 5 वर्ष में कुल एमक्यूवाई/एमक्यूवाई-एम (अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के लिए निर्धारित) के कुल 108 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक का कुल औसत था।
- (v) ऐसे किसान फसल वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में खेती किए गए कुल क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक की अफीम फसल पोस्ट फसल की जुताई कर दी थी आने वाले फसल वर्ष अर्थात 2022-23 में अफीम पोस्ट की खेती के लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे।

माफी योग्य सीमाः

यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंसशुदा क्षेत्र से 5 प्रतिशत तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है।

7. विविध

(i) जो किसान वर्ष 2021-22 के दौरान अफीम पोस्त की खेती अपने भू-खंड पर अथवा दूसरों से पट्टे पर लिये गये भू-खंड पर करता है, भू-खंड के स्वामी का ब्यौरा, सर्वेक्षण संख्या और स्वापक आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य ब्यौरा प्रदान करेगा।

- (ii) इन सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों से नार्कोटिक्स आयुक्त/नार्कोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने/उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचती जब कभी स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए।
- (iii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किये जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिगृहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसने निर्धारित न्यूनतम अर्हक उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा।
- (iv) लाइसेंस इस अतिरिक्त शर्त के अध्यधीन होगा कि अफीम को निकाले बिना पोस्त भूसी प्राप्त करने के लिए किसी भी खेत को चुना जा सकता है। जिन किसानों के खेत ऐसे उपयोग के लिए चुने जाएंगे वे अन्यथा पात्र होने पर अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे।
- (v) किसी किसान द्वारा सौंपी गई अफीम की मात्रा की गणना राजकीय अफीम एवं क्षारोध कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर में किए गए विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री गाढ़ेपन पर की जाएगी।
- (vi) ऐसे किसान जिनका किसी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है लेकिन वे पास के लगे दूसरे गांव के निवासी हैं तो उनको अपने आवास पर अफीम को इकट्ठा करने की अनुमित होगी बशर्ते की ऐसी मानव बस्ती और गांव के बीच लगातार आना जाना होता हो।
- (vii) यदि अपील की नीति अंग्रेजी और हिन्दी के संस्करणों में परस्पर विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण ही अधिमान्य होगा।

[फा. सं. एन-14011/01/2021-स्वापक नियंत्रण-I]

टी.के. सत्पथी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021

No. 01/2021-Narcotics Control-1

G.S.R. 727(E).—In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of license specified below for cultivation of opium poppy on account of the Central Government during the Opium Crop Year Commencing on the 1st day of October, 2021 and ending with the 30th day of September, 2022.

1. Place of Cultivation

Opium poppy cultivation may be licensed in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. Eligibility for Cultivation

Subject to clauses 3 and 7 of this notification, the following shall be eligible for a license to cultivate opium poppy:

(i) Cultivators who had cultivated opium poppy during the crop year 2020-21 and tendered an average yield of Morphine (MQY-M) not less than **4.2 kg per hectare**.

Note- Average qualifying yield of Morphine in opium tendered in kilograms per hectare will be termed as Minimum Qualifying Yield (MQY-M) in the notification hereinafter.

- (ii) Cultivators who ploughed back their entire poppy crop cultivated during the crop year, 2018-19,2019-20 & 2020-21 under the supervision of the Central Bureau of Narcotics in accordance with the provisions in this regard, but had not similarly ploughed back their entire poppy crop during 2017-18.
- (iii) Cultivators whose appeal against refusal of License has been allowed after the last date of settlement in the crop year 202-21.
- (iv) Cultivators who were eligible for a license for the crop year 2020-21, but did not voluntarily obtain a license for any reason, or who after having obtained a license, did not actually cultivate opium poppy due to any reason.
- (v) Cultivator who is nominated by deceased eligible cultivator in column No. 11 in Form No. 1 (see rule 7) for the crop year 2020-21.
- (vi) One of legal heirs of deceased eligible cultivators as determined by the District Opium Officer after following the due process, in the cases where nomination in Form No.1 is not made for any reason or nomination of person not falling under definition of family members/blood relatives in Form No. 1 is made.
- (vii) who were de-licensed on the ground of charge/charges in any competent court for any offence under NDPS Act, 1985 and the Rules made there under provided that they have been acquitted by the competent court of Law in said case/ cases and such order/orders of acquittal has become final as on 31st July 2021, shall also be eligible for a license to cultivate opium poppy subject to fulfillment of other conditions, production of certified copy of judgment and declaration to this effect.
- (viii) The cultivators who get their opium poppy crop ploughed back in excess of 50% of total of areas cultivated during the crop years 2018-19, 2019-20 and 2020-21 shall not be eligible for a license to cultivate opium poppy for crop year 2021-22.
- 2A. Subject to clauses 3 and 7 of this notification, the following shall be eligible for a license to cultivate opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing:
- (i) Cultivators (including their legal heirs) who have tendered an average yield of Morphine (MQY-M) 3.7 kg per hectare and above but less than 4.2 kg per hectare in crop year 2020-21.
- (ii) Cultivators (including their legal heirs) who were de-licensed in the crop year 2019-20 and 2020-21 provided they have tendered opium having total average equal/equivalent to or more than 100 percent of an average yield of Morphine (MQY-M) 4.2 Kg per hectare for last five tendered years including the year of de licensing. In case of transfer of license to legal heir, average tendering by deceased cultivators would be taken into account for computation of total of averages of opium tendered.

3. Conditions of License

No cultivator shall be granted license unless he/she satisfies that:

- i. He/She did not, in the course of actual cultivation, exceed the area licensed for poppy cultivation during the crop year 2020-21 beyond the 5% 'Condonable Limit' allowed in the licensing policy.
- ii. He/she did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, and the Rules made there under.
- iii. He/she did not during the crop year 2002-21 violate any departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/ Narcotics Commissioner to the cultivators.

4. Maximum Area

(i) All eligible tendered cultivators of crop year 2020-21 under clause 2 above will be issued license as below:

S.No.	MQY-M (In Kg/Hectare) for the Crop Year 2020-21	Licensed area (In Hectares)
1	4.2 and above but less than 5.0	0.06
2	5.0 and above but less than 5.9	0.10
3	5.9 and above	0.12

- (ii) Eligible cultivators under clause 2 not falling in S.No. (i) above will be issued license for **o.05** hectares.
- (iii) Eligible cultivators under clause 2A above will be issued license for **0.06** hectares.
- (iii) Cultivators getting license upto 10 Are can sow opium in one plot only and cultivators getting license for more than 10 Are can sow opium poppy in not more than two plots.
- (iv) Cultivators will be permitted to take on lease, land belonging to others, to make up the licensed area, if they so desire.

5. Forewarning

- (i) A minimum qualifying yield (MQY –M) of **5.9 Kg Morphine**/ Hectare of Morphine in opium tendered should be achieved during the crop year 2021-22 to become eligible for a license to cultivate opium poppy in the following year i.e. 2022-23.
- (ii) Morphine content of opium tendered during 2021-22 may become the basis for payment for the crop year 2021-22, if the Government decides to do so in this regard.
- (iii) Cultivators who had fully ploughed back their entire poppy during crop year 2018-19, 2019-20 and 2020-21 would not be entitled for license in the crop year 2022-23, if they also plough back their crop fully in the crop year 2021-22.
- (iv) In future, if Government intends to grant additional licenses, it may consider re-licensing of de-licensed cultivators who had tendered opium/ Morphine having total average equal to or more than 108 percent of the total of MQY/ MQY-M (fixed for licensing in the next crop year) for last five consecutive tendered years.
- (v) The cultivators who get their opium poppy crop ploughed back in excess of 50% of total of areas cultivated during the crop years 2019-20, 2020-21 and 2021-22 may not be eligible for a license to cultivate opium poppy in the following year i.e. 2022-23.

6. Condonable Limit:

If the area actually cultivated is up to 5% in excess of the licensed area, such excess cultivation maybe condoned.

7. Miscellaneous

- i. Any cultivator who cultivates opium poppy during 2021-22 in his own land or in the land leased from others shall provide details of owner of the plot, survey number and any other details as may be directed by the Narcotics Commissioner.
- ii. These General Licensing conditions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/ Deputy Narcotics Commissioner to issue/ withhold a license whenever it is deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.
- iii. The license will be subject to the condition that any field may be taken over for any research that may be conducted by the Government directly or in collaboration with any specialized Institution or Agency. The cultivator whose field is selected for research shall be considered for license for the next year, if he has tendered the stipulated MQY and is otherwise eligible. The area taken over for research will not be taken into account while calculating the yield.

- iv. The license shall be subject to the further condition that any field may be selected for obtaining poppy straw without extraction of opium. The cultivators whose fields are selected for such use shall be eligible for a license for the next crop year, if otherwise eligible.
- v. For the purpose of making payment of opium tendered by the cultivator, the quantity of opium tendered by a farmer will be calculated at 70° consistency, on the basis of analysis by the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur.
- vi. In respect of cultivators having opium cultivation license in a particular village but are having residence in adjacent village, such cultivators may be allowed to store opium in their residence, provided that there is continuous human settlement between such villages.
- vii. If there is difference in any para of Hindi version of opium policy 2021-22 then English version of same shall be followed

[F. No. N-14011/01/2021-NC-l]

T. K. SATPATHY, Under Secy.